"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 256] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 अगस्त 2011—भाद्र 4, शक 1933

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 अगस्त 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-7/2008/वा.क.(आब.)/पांच (44).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधीनस्थ तृतीय श्रेणी (कार्यपालक) सेवा भरती नियम, 1982 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, जो राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा, अर्थात् :—

"अनुसूची-तीन
(नियम 9 देखिये)

सीधी भर्ती के लिए अर्हता

विभाग का नाम	सेवा तथा पदों का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	उच्चतर आयु सीमा	आवश्यक शैक्षणिक अर्हता	शारीरिक योग्यता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आबकारी विभाग	छत्तीसगढ़ आबकारी अधीनस्थ तृतीय-श्रेणी (कार्यपालक)				
	(क) आबकारी उप निरीक्षक	21 वर्ष	30 वर्ष	अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि धारण करता हो.	पुरुष के लिए ऊंचाई-165 से.मी., सीने का माप (सामान्य)-81 से.मी., सीने का माप (फुलाने पर)-86 से.मी.. महिला के लिए ऊंचाई-152.4 से.मी.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(ख) आबकारी आरक्षक	18 वर्ष	30 वर्ष	अभ्यर्थी को 10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए.	पुरुष के लिए ऊंचाई-167.5 से.मी., एवं अनुसूचित जनजाति (पुरुष) के लिए ऊंचाई 165 से.मी., सीने का माप (सामान्य)-81 से.मी., सीने का माप (फुलाने पर)-86 से.मी. महिला के लिए ऊंचाई-152.4 से.मी.

नोट :— छत्तीसगढ़ राज्य के वास्तविक स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय-समय पर, जारी किए गए निर्देश के अनुसार शिथिलनीय होगी."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 अगस्त 2011

क्रमांक एफ 10-7/2008/वा.क.(आब.)/पांच (44).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-7/2008/वा.क.(आब.)/पांच (44), दिनांक 26-08-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, सचिव.

Raipur, the 26th August 2011

NOTIFICATION

No. F 10-7/2008/CT (Ex)/V (44).—In exercise of the powers conferred by the proviso to rticle 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment i the Chhattisgarh Excise Sub-ordinate Service Class-III (Executive) Recruitment Rules, 1982, with effect from the date of its publication in the Official Gazette, namely :—

"SCHEDULE-III
(See Rule 9)

Eligibility for Direct Recruitment

Name of Depart-ment (1)	Name of service and post (2)	Lower age limit (3)	Upper age limit (4)	Essential Educational Qualification (5)	Physical Qu ification (6)
Excise Depart-ment	C. G. Excise Sub-ordinate Service Class-III (Executive)				
	(a) Excise Sub-Inspector	21 years	30 years	Candidate should have Bachelor Degree from recognised University	Height for Mal 165 c.m., Measurement o Chest (Normal)-81 c.m., Measurement o Chest (inflate)-86 c.m., Hight for Fem 152.4 c.m.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(b) Excise Constable	18 years	30 years	Candidate should have passed High School Examination under 10+2 Education System	Height for Male-167.5 c.m., and Height for Scheduled Tribe (Male)-165 c.m., Measurement of Chest (Normal)-81 c.m., Measurement of Chest (inflate)-86 c.m., Hight for Female-152.4 c.m.

Note :—The upper age limit for the Candidates who are bonafide local resident of Chhattisgarh State shall be relaxable as per the instruction issued by the General Administration Department, from time to time."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
G. S. MISHRA, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.